पंजाबः 3 महीने बाद एक मंच पर दिखे चन्नी और वड़िंग

हाईकमान ही सुप्रीम, चन्नी और वड़िंग भी फ्री हैंड नहींः पायलट

भास्कर न्यूज़ | चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी अंदरूनी खींचतान के बीच मंगलवार को चंडीगढ़ की सियासत में बड़ा बदलाव दिखा। नए पंजाब प्रभारी सचिन पायलट के पहले दौरे पर पार्टी के सभी बड़े चेहरे एक ही मंच पर नजर आए। करीब तीन महीने से अलग-अलग खेमों में बंटे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने न केवल मंच साझा किया, बल्कि विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साझा मोर्चा खोला।

पार्टी के भीतर इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म कर एकजुटता दिखाने की मजबूत कवायद माना जा रहा है। सचिन पायलट ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर ये नेता आपकी बात नहीं सुनेंगे तो मैं सुनूंगा, मैं आपके लिए खड़ा हूं। वहीं मंच से उतरकर उन्होंने गुटबाजी को लेकर ये बात कही कि कांग्रेस में हाईकमान ही सुप्रीम है। उन्होंने कहा कि चन्नी, वड़िंग समेत किसी को भी फ्री हैंड नहीं मिलेगा।

दिल मिले न मिले, हाथ मिले...

चन्नी से बोले वड़िंग, तुसीं अज्ज कमाल ही करता...

तस्वीर चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान की है, चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में स्थित पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस नेता वर्कर जुटे। इस दौरान सचिन पायलट बीच में बैठे दिखाई दिए, जबकि उनके अगल बगल चन्नी और वड़िंग बैठे। इस दौरान चन्नी और वड़िंग ने आपस में बातचीत भी की। क्या बात हुई, इस बारे में जब भास्कर ने चन्नी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वड़िंग ने उन्हें कहा था कि तुसीं अज्ज कमाल ही करता। बोहोत ही सोहणा भाषण दित्ता। इस पर चन्नी ने जवाब दिया, तुआडी मेहरबानी है छोटे वीर।

ओडिशाः रेस्क्यू किए गए 5 बेबी ऑरंगुटान की जांच

भुवनेश्वर | ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल से 8 सितंबर को रेस्क्यू किए गए पांच बेबी ऑरंगुटान की मंगलवार को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में छह सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने जांच की। इनमें एक का शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। सभी सामान्य रूप से खाना ले रहे हैं। पशु चिकित्सक लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऑरंगुटान बोर्नियो और सुमात्रा में पाए जाते हैं। इनके रेस्क्यू के बाद संभावित अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी की जांच शुरू हुई है। एसटीएफ और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो संयुक्त जांच कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, जरूरत पर पैरासिटामोल आधारित दवा दी जाती है। पांचों को हर दो घंटे में दूध और नियमित अंतराल पर सेब-केले का तरल व उबले आलू दिए जा रहे हैं।

उदयपुरः पूर्व राजपरिवार की सदस्य विजयराज का निधन

उदयपुर | महाराणा प्रताप के वंशज स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की पत्नी विजयराज कुमारी मेवाड़ (83) का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं। विजयराज कुमारी का उदयपुर में 425 साल पुरानी छतरियों के बीच महासतियां में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लक्ष्यराज भावुक हो गए। महासतियां में अंतिम संस्कार की परम्पराएं बारिश के बीच निभाई गईं। इससे पहले पूर्व राजपरिवार के आधिकारिक निवास शंभू पैलेस से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। विजयराज कुमारी की करीब साढ़े चार किमी लंबी अंतिम यात्रा में पूर्व राजपरिवारों के सदस्य और आम लोग शामिल थे। इस दौरान कई लोग भावुक नजर आए।

एपल ने मॉडल आईओएस 27 अपडेट जारी किया

नई दिल्ली | एपल ने आईफोन 11 और उसके बाद के मॉडल के लिए आईओएस 27 अपडेट जारी कर दिया है। भारत में भी यह अपडेट उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण सिरी एआई है, जो स्क्रीन पर मौजूद जानकारी समझकर मेल, मैसेज, फोटो और अन्य सामग्री के आधार पर जवाब दे सकती है। कैमरा अब बिल और दूसरे दस्तावेज पढ़ सकेगा, जबकि शॉर्टकट्स में बोलकर कमांड बनाई जा सकेगी। फोटोज में तस्वीर का फ्रेम बढ़ाने और वस्तुएं हटाने के नए विकल्प मिलेंगे। लिक्विड ग्लास की पारदर्शिता को कम-ज्यादा करने के लिए नया स्लाइडर भी दिया गया है।

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)

IN THE COURT OF Dr. Jyoti Civil Judge (Junior Division), Gohana

Rajat Jajodia
Vs.
Ravinder Kumar s/o Sh. Kawar Singh

CNR No. HRSOB0-000545-2026 Next Date:- 05-10-2026

PUBLICATION ISSUED TO:

Ravinder Kumar s/o Sh. Kawar Singh, Village Babra Distt Jhajjar Haryana

In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 05-10-2026 at 10:00 a.m.

For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Sonipat

Civil Judge (Junior Division), Gohana

Dated this day of 14-09-2026

हिमाचलः टांडा में भर्ती युवती ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान

कांगड़ा | डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज (टांडा) में एक 27 वर्षीय युवती ने चौथी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका भवारना थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। युवती को सोमवार शाम जहर खाने के बाद गंभीर हालत में टांडा अस्पताल लाया गया था। प्रिंसिपल डॉ. मिलाप शर्मा ने बताया कि रातभर आईसीयू में इलाज के बाद उसकी स्थिति में सुधार हो रहा था। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जब उसे मेडिसिन विभाग के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी वह स्टाफ और परिजनों को चकमा देकर चौथी मंजिल की खिड़की से कूद गई।

SBI State Bank of India

RACPC YAMUNANAGAR, 2ND FLOOR, OPPOSITE SANT NISCHAL SINGH PUBLIC SCHOOL, NEAR KANHAIYA CHOWK, YAMUNANAGAR

[नियम 8-(1)] सांकेतिक कब्ज़ा सूचना (चल संपत्ति के लिए)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरएसीपीसी यमुनानगर के अधिकृत अधिकारी हैं, ने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (2002 का 54)' और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, उधारकर्ता को डिमांड नोटिस में बताई गई रकम को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा था।

उधारकर्ता/गारंटर द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 और 9 के साथ पढ़े जाने वाले एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अकाउंट के सामने बताई गई तारीख को नीचे बताई गई संपत्तियों का **सांकेतिक कब्ज़ा** ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे इन संपत्तियों के संबंध में कोई लेन-देन न करें; और इन संपत्तियों से जुड़ा कोई भी लेन-देन नीचे बताई गई रकम और उस पर लगने वाले अन्य शुल्क/खर्चों के लिए **भारतीय स्टेट बैंक** के अधिकार (चार्ज) के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	चल संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्ज़ा की तिथि	बकाया राशि
उधारकर्ताः श्री चेतन मल्होत्रा पुत्र श्री अश्वनी और श्रीमती मीनू मल्होत्रा पत्नी श्री अश्वनी मल्होत्रा), मकान नंबर 2/11, वार्ड नंबर 27, कैंप यमुनानगर।	Hyundai Creta 1.5 M PI MT SX (पेट्रोल) कार का हाइपोथिकेशन (गिरवी रखना) - रजिस्ट्रेशन नंबर HRO2AY1003, इंजन नंबर G4FLPV496135, चेसिस नंबर MALPC812LPM477653 श्री चेतन मल्होत्रा पुत्र श्री अश्वनी मल्होत्रा, निवासीः मकान नंबर 2/11, वार्ड 27, कैंप, यमुना नगर 135001) के नाम पर।	02.03.2026	15.09.2026	रुपये 9,93,707/- नौ लाख तिरानवे हज़ार सात सौ सात रुपये मात्र, साथ ही अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय)।

दिनांक : 15.09.2026 स्थान : कैम्प यमुना नगर प्राधिकृत अधिकारी

राजस्थान में एईएन के घर खजाना; ₹43.38 लाख नकद और 20 किलो चांदी की 4 सिल्लियां मिलीं

जयपुर | भुसावर पंचायत समिति के एईएन गोविंद प्रसाद के घर की तलाशी में 43.38 लाख नकद और 20 किलो चांदी की 4 सिल्लियां मिलीं। एसीबी ने एईएन को दो दिन पहले 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। एएसपी अमित सिंह की टीम ने घर की तलाशी ली तो नकदी और चांदी बरामद हुई। एसीबी के डीआईजी ओम प्रकाश मीना ने बताया कि हिंडौन की दो दुकानों और जयपुर मानसरोवर स्थित हाउसिंग बोर्ड के मकान के दस्तावेज भी मिले हैं। एईएन ने बताया कि चारों सिल्लियां करीब दो साल पहले नकद में खरीदी थीं और बिल नहीं लिया था। एईएन ने परिवादी संवेदक और सहपरिवादी को माप पुस्तिका व कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र देने के बदले 30 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा।

pnb पंजाब नैशनल बैंक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

...जिस नाम पर आप भरोसा कर सकते हैं!

ई-नीलामी सूचना

कॉर्पोरेट ऑफिस : प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

रिकवरी सेक्शन, सर्किल ऑफिस : बे 21-22, चौथी मंज़िल, सेक्टर - 12, करनाल • ईमेल: coknlsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के लिए ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तारीख और समय: 06.10.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता (यों) एवं गारंटर (यों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक /भारित है, जिसका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा/ सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उससे संबंधित ऋणी(यों) एवं गारंटर (रों) से बैंक / सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जैसा है जहां है", जैसी है जो है तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणी(यों) एवं गारंटर (रों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार का बकाया वसूला जा सके। आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका के अनुसार उल्लिखित होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

शाखा का नाम उधारकर्ता/गारंटर, खाते का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण (गिरवी रखी गई / मालिक का नाम) (संपत्ति(यों) के गिरवी रखने वाले)	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि बी) इस तिथि तक बकाया राशि सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि डी) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य बी) ईएमडी सी) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तारीख एवं समय	जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें।
1. शाखा कार्यालय - भगवानगढ़ उधारकर्ताः श्री मुनीश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रवेश कुमार निवासी #33 पृथ्वीनगर, फ़र्कपुर, यमुनानगर जिला यमुनानगर	मकान नंबर 33 प्रॉपर्टी ID 337C416U94, माप 113.33 वर्ग गज का पूरा हिस्सा, जो मौजा फराकपुर, यमुना नगर में स्थित है और यमुना नगर-जगाधरी नगर	ए) 13(2): 02.08.2022 बी) रु. 15,73,069.15 + आगे का ब्याज + उस पर होने वाले खर्च सी) 13(4): 13.10.2022 डी) भौतिक कब्ज़ा	A) रु. 18,05,000/- B) रु. 1,80,500/- C) रु. 10,000/-	06.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	

निगम की सीमा के अंदर तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर आता है। यह मकान श्री मुनीश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रवेश शर्मा के नाम पर है, जो सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में 31.10.2019 को रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड नंबर 7319 के जरिए रजिस्टर्ड है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तरः 17' 15" चौड़ी गली, दक्षिणः 17' दूसरों का मकान, पूर्वः 60' वेद प्रकाश का मकान, पश्चिमः 60' अशोक कुमार का मकान।

2. शाखा कार्यालय - सिविल लाइन्स जगाधरी (519600) उधारकर्ताः 1. श्रीमती परमजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह और 2. श्री हरजीत सिंह पुत्र वरयाम सिंह#44, मुखर्जी पार्क, जगाधरी, जिला यमुनानगर	प्लॉट नंबर 44 के दक्षिणी हिस्से पर बना रिहायशी मकान प्रॉपर्टी ID नंबर 65C107U58, माप 100 वर्ग गज, जो खसरा नंबर 27//18/5, 19/2, 20/2,	ए) 13(2): 11.02.2022 बी) रु. 11,08,285.22 + आगे का ब्याज + उस पर होने वाले खर्च सी) 13(4): 22.06.2022 डी) सांकेतिक कब्ज़ा	A) रु. 1882000/- B) रु. 188200/- C) रु. 10000/-	06.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	

21/2, 42//1/3, 28/1, 27//22, 42//2 में आता है और मौजा जगाधरी HB नंबर 400 (जिसे अब मुखर्जी पार्क, जगाधरी के नाम से जाना जाता है) में स्थित है। यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जगाधरी - यमुना नगर, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर की सीमा के अंदर है। इसे रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर 4948 (तारीख 17.10.2006) के जरिए खरीदा गया था, जो सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के ऑफिस में रजिस्टर्ड है (साथ में म्यूटेशन नंबर 23229 और साल 2014-15 की जमाबंदी भी शामिल है)। इसके अलावा, श्रीमती परमजीत कौर (पत्नी श्री हरजीत सिंह) के नाम पर सेल डीड नंबर 3597 (तारीख 17.10.2008) भी है जो सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के पास रजिस्टर्ड है। इसकी माप और सीमाएँ इस प्रकार हैं: - उत्तरः प्लॉट नंबर 44 का 60' हिस्सा, दक्षिणः 60' प्लॉट नंबर 45, पूर्वः 15' प्लॉट नंबर 47, पश्चिमः 15' 20' चौड़ी गली।

3. शाखा मेहलांवाली (121410) उधारकर्ताः श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह (उधारकर्ता) पताः 1574, नंदा कॉलोनी, फरकपुर, बाबा बालक नाथ मंदिर के पीछे, जिला यमुना नगर-135002	PPID नंबर 338C144U210 वाला रिहायशी घर, माप 83 वर्ग गज यानी 00K-02M-06.5S के प्लॉट पर बना है। यह जमीन 04K-04M के	ए) 13(2): 08.01.2026 बी) रु. 19,42,447.20 + आगे का ब्याज + उस पर होने वाले खर्च सी) 13(4): 04.04.2026 डी) सांकेतिक कब्ज़ा	A) रु. 1905000/- B) रु. 190500- C) रु. 10000/-	06.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	

कुल हिस्से में से 4/126 हिस्सा है, जो खेवट नंबर 144/137, खतौनी नंबर 157, खसरा नंबर 9//7/1 (4-4) में शामिल है। यह प्रॉपर्टी मौजा फराकपुर, HB नंबर 468 जिसे अब नंदा कॉलोनी, जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर के नाम से जाना जाता है, में स्थित है और नगर निगम, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर की सीमा के अंदर आती है। जमाबंदी वर्ष 2019-20 और म्यूटेशन नंबर 1724 के अनुसार, इसके मालिक श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह हैं। उन्होंने इसे रिलीज डीड नंबर 4346 दिनांक 22.07.2019 के जरिए खरीदा था, जो सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत रजिस्टर्ड है। इसकी माप और सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर 16'-06" – दूसरों की प्रॉपर्टी, दक्षिण 16'6" - सड़क, पूर्व 49'-06" – दूसरों की प्रॉपर्टी, पश्चिम 49'-06" – दूसरों की प्रॉपर्टी।

4. शाखा सहारनपुर रोड यमुना नगर (214000) उधारकर्ताः श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी राम सिंह, मकान नंबर 102, जवाहर नगर फरकपुर यमुना नगर	मौज ससौली H.B. नंबर 420, जिसे अब जवाहर नगर, फरकपुर, यमुना नगर के नाम से जाना जाता है, में स्थित उस घर का पूरा हिस्सा, जिसका PPID	ए) 13(2): 25.04.2023 बी) रु. 9,79,133/- + आगे का ब्याज + उस पर होने वाले खर्च सी) 13(4): 20.10.2023 डी) भौतिक कब्ज़ा	A) रु. 12,75,000/- B) रु. 1,27,500/- C) रु. 10000/-	06.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	

नंबर 335C899U26 है। यह घर प्लॉट नंबर 80 और प्लॉट नंबर 81 के पूर्वी हिस्से, माप 200 वर्ग गज यानी 00K-07M पर बना है। यह यमुना नगर-जगाधरी नगर निगम की सीमा के भीतर, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर में आता है। यह जानकारी 2018-19 की जमाबंदी और म्यूटेशन नंबर 7096 के अनुसार है।

इसे सेल डीड नंबर 8831 दिनांक 02.02.2017 के जरिए खरीदा गया था, जो सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है। विवरण इस प्रकार है:-

A) 00K-03M जमीन जो 13K-18M जमीन का 3/278 हिस्सा है, जिसमें खेवट नंबर 280/238, खतौनी नंबर 390, खसरा नंबर 41//1/2, 9/5 शामिल हैं।

B) 00K-01M जमीन जो 06K-13M जमीन का 1/133 हिस्सा है, जिसमें खेवट नंबर 281/239, खतौनी नंबर 391, खसरा नंबर 41/2/1 शामिल हैं।

C) 00K-03M जमीन(जो 21K-19M जमीन का 3/439 हिस्सा है, जिसमें खेवट नंबर 283/241, खतौनी नंबर 393, खसरा नंबर 41/11, 12, 13 शामिल हैं।

विवरण इस प्रकार है:- उत्तर- 36"-0" प्लॉट नंबर 57, दक्षिण- 36-0" गली (16 फीट 6 इंच चौड़ी), पूर्व- 50-0" प्लॉट नंबर 79, पश्चिम- 50"-0" प्लॉट नंबर 81 का बचा हुआ हिस्सा।

5. शाखा सहारनपुर रोड यमुना नगर (214000) उधारकर्ताः श्री असिनूर पुत्र हामिद अली, मनोज करियाना स्टोर के पास गंगा नगर कॉलोनी, तहसील जगाधरी, यमुना नगर 135001 हरियाणा	माप 60 वर्ग गज यानी 00K-02M के उस रिहायशी घर/प्लॉट का पूरा हिस्सा, जिसकी प्रॉपर्टी ID नंबर 102C263U174 है। यह 09K-09M जमीन का 2/189 हिस्सा है जो खेवट नंबर	ए) 13(2): 20.06.2024 बी) रु. 7,66,495.51/- + आगे का ब्याज + उस पर होने वाले खर्च सी) 13(4): 17.06.2025 डी) भौतिक कब्ज़ा	A) रु. 6,75,000/- B) रु. 67,500/- C) रु. 10000/-	06.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	

1329//1338, खतौनी नंबर 1549, खसरा नंबर 46//15(7-19), 16/1(1-10) में शामिल है। यह मौजा जगाधरी जिसे अब उधमगढ़ की टपरियां, गंगा नगर एक्सटेंशन, जगाधरी के नाम से जाना जाता है, में स्थित है और यमुना नगर-जगाधरी नगर निगम, तहसील- जगाधरी, जिला यमुना नगर की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका मालिकाना हक रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर 6002 दिनांक 01/01/2021 के तहत है, जो सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत रजिस्टर्ड है, साथ ही म्यूटेशन नंबर 26163 और वर्ष 2019-2020 की जमाबंदी के अनुसार श्री असिनूर पुत्र हामिद अली के नाम पर दर्ज है। इसकी माप और सीमाएं इस प्रकार हैं: - उत्तर 3'-6"+16'6" - रास्ता 22', और शांति देवी का घर; दक्षिण 20' - दूसरे का घर; पूर्व 47'-3" - घर नंबर 8; पश्चिम 22'3"+25" - घर नंबर 9 और शांति देवी।

6. शाखा ई-ओबीसी बिलासपुर (141210) (1) मैसर्स एवीके एंटरप्राइजेज, मालिक श्रीमती शशि बाला पत्नी श्री सचिन शर्मा के माध्यम से, चंदाखेड़ी रोड, बिलासपुर में(2) श्री सचिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष	मौजा बौरा, तहसील जगाधरी में स्थित 275 वर्ग गज का वह रिहायशी मकान प्रॉपर्टी ID नंबर 15C1733U285, जो श्री संदीप शर्मा और श्री सचिन शर्मा पुत्र श्री	ए) 13(2): 15.11.2018 बी) रु. 16,25,086.06/- + आगे का ब्याज + उस पर होने वाले खर्च सी) 13(4): 24.01.2019 डी) भौतिक कब्ज़ा	A) रु. 1667000/- B) रु. 166700/- C) रु. 10000/-	06.10.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	

सुभाष के नाम पर बराबर हिस्से में है। यह मालिकाना हक रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड नंबर 9949 (दिनांक 15.12.2015, सब-रजिस्ट्रार जगाधरी के यहाँ रजिस्टर्ड) के तहत है। इसकी माप और सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः 99' कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस, दक्षिणः 99' गली, पूर्वः 25' गली, पश्चिमः 25' गली।

शर्मा (गारंटर) निवासी वार्ड नं. 8, बुरिया, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर,(3) श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा (गारंटर), निवासी वार्ड नं. 8, बुरिया, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर

स्थानीय निकाय/राज्य/केन्द्र सरकार एवं अन्य निकाय को देने वाले बकाया की जानकारी बैंक को नहीं है

नियम और शर्तेंः यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में बताए गए नियमों और शर्तों और नीचे दी गई अन्य शर्तों के अधीन होगीः

1. संपत्ति "जैसी है जहाँ है" और "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जा रही हैं।
2. ऊपर दी गई अनुसूची में सुरक्षित एसेट्स का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
3. नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से 'ऑनलाइन' होगी।
4. बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और https://pnb.bank.in देखें और शाखा पर जाएँ।
5. खरीदार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद खरीद राशि का बीस प्रतिशत जमा करना होगा; ऐसा न करने पर संपत्ति को तुरंत दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा और फिर से बेचा जाएगा।

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी/गारंटर को बताया जाता है कि वे ऊपर बताई गई रकम, लेटेस्ट इंटरेस्ट और दूसरे खर्चों के साथ ई-नीलामी की तारीख से पहले चुका दें, ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी को ऑक्शन/बेच दिया जाएगा और बाकी बकाया रकम, अगर कोई हो, तो इंटरेस्ट और खर्च के साथ वसूल की जाएगी।

दिनांक : 14.09.2026
स्थान : करनाल

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

वसूली अधिकारी - I का कार्यालय

ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़

पहली मंज़िल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017

R.C. No. 55/2023 दिनांक : 27.08.2026

बिक्री की घोषणा

आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 52 (2) और बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत बिक्री की घोषणा।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स समाधान डेयरी फार्म

हेतु,
(सीडी-1) मैसर्स समधन डेयरी फार्म अपने मालिक, रविंदर कुमार निवासी वीपीओ भानी-खुर्द, तहसील नीलोखेड़ी और ज़िला करनाल, हरियाणा-132001 के माध्यम से
(सीडी-2) श्री रविंदर कुमार पुत्र श्री हरदीप सिंह, मालिक मैसर्स समधन डेयरी फार्म निवासी वीपीओ भानी-खुर्द, तहसील नीलोखेड़ी और ज़िला करनाल, हरियाणा-132001
(सीडी-3) सुश्री संयोगिता पत्नी श्री हरदीप सिंह निवासी वीपीओ भानी-खुर्द, तहसील नीलोखेड़ी और ज़िला करनाल, हरियाणा-132001
(सीडी-4) श्री राजीव कुमार पुत्र श्री वेद पाल निवासी वीपीओ भानी-खुर्द, तहसील नीलोखेड़ी और ज़िला करनाल, हरियाणा-132001

1. जबकि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल-II के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी RC नंबर 55/2023 (दिनांक 02.05.2019) के अनुसार, जिसमें रु. 66,73,405/- (रु. छियासठ लाख तिहत्तर हज़ार चार सौ पाँच मात्र) की राशि का उल्लेख है, CD (देनदार) संयुक्त रूप से और/या अलग-अलग रूप से लागत, वर्तमान और भविष्य की लागत और 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ वसूली तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
2. और जबकि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को उक्त रिकवरी सर्टिफिकेट की वसूली के लिए बेचने का आदेश दिया गया है।
3. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि बिक्री को स्थगित करने का कोई आदेश नहीं मिलता है, तो उक्त संपत्ति को BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क) E-PSB लिमिटेड, एलायंस प्राइवेट वेबसाइटः ऑक्शन पोर्टल (जो https://baanknet.com द्वारा संचालित है) के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। संपर्क विवरणः ईमेल ID: support.baanknet@psballiance.com; संपर्क व्यक्तिः पटेल (मोबाइलः 9327493060), कश्यप (मोबाइलः +918291220220); पताः M/s. PSB Alliance Pvt Ltd, यूनिट 1, तीसरी मंज़िल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला, पूर्वी मुंबई-400034। नीलामी 05.11.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच होगी (यदि आवश्यक हो तो, बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली लगने की स्थिति में ऑटो-एक्सटेंशन क्लॉज़ के साथ)। इच्छुक बोलीदाताओं को BAANKNET पोर्टल पर पहले से पंजीकरण करना होगा, डिजिटल KYC प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
4. EMD (बयाना राशि) बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से BAANKNET पोर्टल के माध्यम से 02.11.2026 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। BAANKNET पोर्टल, CH बैंक के साथ समन्वय करके, सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूची और आवश्यक विवरण रिकवरी ऑफिसर को आवश्यक अनुमोदन के लिए 04.11.2026 को शाम 05:00 बजे तक भेजेगा। नीलामी के संचालन से जुड़े सभी मामलों में, BAANKNET पोर्टल की शर्तों और नियमों के बजाय इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधान और रिकवरी ऑफिसर के निर्देश मान्य होंगे। रजिस्ट्रेशन, यूज़र ID और बोली लगाने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता BAANKNET पोर्टल देख सकते हैं या यहाँ दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
5. संभावित खरीदार साइट का निरीक्षण कर सकते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर प्रॉपर्टी की जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसके लिए पहले से संपर्क करने पर लोकल कमिश्नर द्वारा पूरी सहायता दी जाएगी।
6. बिक्री नीचे दी गई अनुसूची में बताए गए ऊपर उल्लिखित CD(s) की प्रॉपर्टी की होगी। उक्त प्रॉपर्टी से जुड़ी देनदारियाँ और दावे, जहाँ तक उनका पता चला है, वे हर लॉट के सामने अनुसूची में बताए गए हैं।
7. प्रॉपर्टी को अनुसूची में बताए अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि बिक्री से मिलने वाली रकम प्रॉपर्टी के एक हिस्से की बिक्री से पूरी हो जाती है, तो बाकी हिस्से की बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि नीलामी पूरी होने से पहले, उक्त सर्टिफिकेट में उल्लिखित बकाया रकम, ब्याज और खर्च (बिक्री के खर्च सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को दे दिए जाते हैं, या उन्हें इस बात का संतोषजनक सबूत दिया जाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट, ब्याज और खर्च की रकम नीचे हस्ताक्षर करने वाले को चुका दी गई है।
8. बिक्री से जुड़े काम करने वाले किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची जा रही प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, न ही उसे खरीदना चाहिए और न ही खरीदने की कोशिश करनी चाहिए।
9. बिक्री इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की दूसरी अनुसूची और उसके तहत बने नियमों में बताई गई शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:- 9.1 साथ लगी अनुसूची में बताई गई जानकारी नीचे हस्ताक्षर करने वाले की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दी गई है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या जानकारी छूट जाने के लिए नीचे हस्ताक्षर करने वाला ज़िम्मेदार नहीं होगा।

9.2 आरक्षित मूल्य जिससे कम कीमत पर प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी और अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) इस प्रकार हैं:-

नं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
1.	37K-13M माप वाली ज़मीन का विवरण इस प्रकार है:-A. गाँव शामगढ़ में 29K-19M माप वाली ज़मीन का विवरण इस प्रकार है:- 6K-2M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार की 3K-1M और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर की 3K-1M), जो 27K-10M माप वाली ज़मीन का 2/9 हिस्सा है; यह ज़मीन खेवट नंबर 276, खतौनी नंबर 353, किता-7 में शामिल है। 5K-4M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार की 2K-12M और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर की 2K-12M), जो 23K-12M माप वाली ज़मीन का 2/9 हिस्सा है; यह ज़मीन खेवट नंबर 277, खतौनी नंबर 364, किता-11 में शामिल है। 14K-0M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार की 7K-0M और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर की 7K-0M), जो 280/2517 हिस्सा है उस ज़मीन का जिसका माप125K-17M है और जो खेवट नंबर 486, खतौनी नंबर 612, किता-1, खतौनी नंबर 613, किता-11, खतौनी नंबर 614, किता-8 में शामिल है। 4K-13M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार का 1/18 हिस्सा और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर का 1/18 हिस्सा), जो 42K-4M माप वाली ज़मीन का 1/9 हिस्सा है; यह ज़मीन खेवट नंबर 807, खतौनी नंबर 1056, किता-2, खतौनी नंबर 1057, किता-4, खतौनी नंबर 1058, किता-5 में शामिल है और गाँव शामगढ़, तहसील नीलोखेड़ी, ज़िला करनाल में स्थित है (वर्ष 2014-2015 की जमाबंदी के अनुसार)। B. भैनी खुर्द गाँव में 7K-14M माप वाली ज़मीन, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: 7K-14M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार का 1/18 हिस्सा और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर का 1/18 हिस्सा), जो 69K-7M माप वाली ज़मीन का 1/9 हिस्सा है। यह ज़मीन खेवट नंबर 120 में शामिल है और भैनी खुर्द गाँव, तहसील नीलोखेड़ी, ज़िला करनाल में स्थित है (विवरण 2014-2015 की जमाबंदी के अनुसार)। नोटः श्री रविंदर कुमार की 1K-19M माप वाली ज़मीन को हरियाणा सरकार ने तहसीलदार के आदेश (पत्र नंबर 252, दिनांक 16.09.2021) के तहत 1,98,000 रुपये की राशि के लिए अटैच (ज़ब्त) किया है (रपट नंबर 40, दिनांक 29.09.2021 के अनुसार)।	रु. 1,88,95,000/-	रु. 18,89,500/-

9.3 जो इच्छुक बोली लगाने वाले, रिज़र्व प्राइस से कम न होने वाली बोली के साथ-साथ PAN कार्ड, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण आदि जैसे दस्तावेज़ (और कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की कॉपी या कंपनी का प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी कन्फर्म करने वाला कोई अन्य दस्तावेज़ भी) 02.11.2026 को शाम 5:00 बजे तक रिकवरी ऑफिसर-1, DRT-II, चंडीगढ़ के ऑफिस में जमा करेंगे, वे 05-11-2026 को दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। अगर नीलामी के बंद होने के समय के आखिरी 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो बंद होने का समय अपने आप 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
9.4 बोली लगाने वाले अपनी बोली को रु. 1,00,000* (केवल एक लाख रुपये) के गुणकों में बढ़ाएंगे।
9.5 सफल या सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को बोली/बिक्री की रकम का 25% हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर के ज़रिए जमा करना होगा। इसमें BAANKNET पोर्टल पर पहले से जमा EMD की रकम को एडजस्ट किया जाएगा। यह पेमेंट 'रिकवरी ऑफिसर-1, DRT-II, चंडीगढ़, A/c R.C. No.55/2023' के पक्ष में करना होगा और इसे अगले बैंक वर्किंग डे यानी शाम 5:00 बजे तक ट्रिब्यूनल में जमा करना होगा; ऐसा न करने पर EMD ज़ब्त कर ली जाएगी।
9.6 सफल/सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी की नीलामी की तारीख से 15वें दिन (नीलामी वाले दिन को छोड़कर) या उससे पहले, रिकवरी ऑफिसर-I, DRT-II, चंडीगढ़ के पास बिक्री से मिली रकम का बाकी 75% हिस्सा जमा करना होगा। यह पेमेंट 'रिकवरी ऑफिसर-I, DRT-II, चंडीगढ़, A/c R.C. No.55/2023' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के ज़रिए किया जाना चाहिए। अगर 15वां दिन रविवार या कोई और छुट्टी का दिन हो, तो पेमेंट 15वें दिन के बाद वाले पहले कामकाजी दिन पर किया जाएगा। साथ ही, 'रजिस्ट्रार, DRT-II चंडीगढ़' के पक्ष में पाउंडेज फ़ीस भी जमा करनी होगीः रु. 1,000 तक की रकम पर 2% और रु. 1,000 से ज़्यादा की रकम पर 1%। (अगर बाकी 75% रकम पोस्ट के ज़रिए जमा की जाती है, तो वह ऊपर बताए गए रिकवरी ऑफिसर तक पहुँच जानी चाहिए।)
9.7 तय समय के अंदर पेमेंट न करने पर, बिक्री की नई घोषणा जारी करने के बाद प्रॉपर्टी को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री का खर्च काटने के बाद, अगर नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को सही लगे, तो जमा की गई रकम सरकार के खाते में ज़ब्त की जा सकती है और पेमेंट न करने वाले खरीदार का प्रॉपर्टी पर या बाद में जिस कीमत पर वह बिकेगी, उस रकम के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं रहेगा।
♦ नामः श्री दीपक कुमार, चीफ मैनेजर, मोबाइल नंबर (77699-88880), ईमेल आईडीः cs8260@pnb.bank.in को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे ऊपर बताए गए तरीके से बिक्री की घोषणा का नोटिस देने और संबंधित प्रॉपर्टी का निरीक्षण करने का काम करेंगे। साथ ही, उन्हें ई-ऑक्शन के लिए कोर्ट ऑक्शनियर भी नियुक्त किया गया है।
यह प्रॉपर्टी 'जैसी है, जहाँ है' और 'जैसी है, वैसी है' के आधार पर बेची जा रही है।
♦ नीचे हस्ताक्षर करने वाले के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी या सभी बोलियों को अनुचित पाए जाने पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित कर सकता है।

संपत्ति की सूचीः

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर लागू किसी भी भार या दायित्व का विवरण	अगर संपत्ति पर कोई दावा किया गया है
1.	37K-13M माप वाली ज़मीन का विवरण इस प्रकार है:- ए. गाँव शामगढ़ में 29K-19M माप वाली ज़मीन का विवरण इस प्रकार है:-6K-2M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार की 3K-1M और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर की 3K-1M), जो 27K-10M माप वाली ज़मीन का 2/9 हिस्सा है और खेवट नंबर 276, खतौनी नंबर 353, किता-7 में शामिल है। 5K-4M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार की 2K-12M और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर की 2K-12M), जो 23K-12M माप वाली ज़मीन का 2/9 हिस्सा है और खेवट नंबर 277, खतौनी नंबर 364, किता-11 में शामिल है। 14K-0M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार की 7K-0M और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर की 7K-0M), जो 125K-17M माप वाली ज़मीन का 280/2517 हिस्सा है और खेवट नंबर 486, खतौनी नंबर 612, किता-1, खतौनी नंबर 613, किता-11, खतौनी नंबर 614, किता-8 में शामिल है। 4K-13M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार का 1/18 हिस्सा और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर का 1/18 हिस्सा), जो 42K-4M माप वाली ज़मीन का 1/9 हिस्सा है और खेवट नंबर 807, खतौनी नंबर 1056, किता-2, खतौनी नंबर 1057, किता-4, खतौनी नंबर 1058, किता-5 में शामिल है; यह ज़मीन गाँव शामगढ़, तहसील नीलोखेड़ी, ज़िला करनाल में स्थित है (वर्ष 2014-2015 की जमाबंदी के अनुसार)। बी. भैनी खुर्द गाँव में 7K-14M माप वाली ज़मीन, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: 7K-14M माप वाली ज़मीन (यानी राजीव कुमार का 1/18 हिस्सा और श्रीमती स्योंगिता देवी व रविंदर का 1/18 हिस्सा), जो 69K-7M माप वाली ज़मीन का 1/9 हिस्सा है। यह ज़मीन खेवट नंबर 120 में शामिल है और भैनी खुर्द गाँव, तहसील नीलोखेड़ी, ज़िला करनाल में स्थित है (विवरण 2014-2015 की जमाबंदी के अनुसार)। नोटः श्री रविंदर कुमार की 1K-19M माप वाली ज़मीन को हरियाणा सरकार ने तहसीलदार के आदेश (पत्र नंबर 252, दिनांक 16.09.2021) के तहत 1,98,000 रुपये की राशि के लिए अटैच (ज़ब्त) किया है (रपट नंबर 40, दिनांक 29.09.2021 के अनुसार)। मेरे हस्ताक्षर और मोहर दिनांक 27.08.2026 निम्न दी गई है।	बैंक को ज्ञात नहीं	बैंक को ज्ञात नहीं	बैंक को ज्ञात नहीं

वसूली अधिकारी -I,
डीआरटी -II, चंडीगढ़